



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 878 /230

दिनांक 24/05/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पैठाड-दारसिंह-खातीगॉव-नाथीसेरा से भन्तोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (ऑनलाइन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD /15682/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण एवं मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आरफ0ए0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/170/2016/एफ0सी0/90 दिनांक 20.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आरफ0ए0 उत्तराखण्ड देहरादून उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगायी गयी हैं जिनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय के ई0डी0एस0 का उत्तर तय सीमा के बाद दिया गया है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में बिलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मार्गदर्शी के पैरा 1.20 (re-opening of case) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	Compenoatory Afforestation map of this forest proposal is overlapped with proposal other proposal. Therefore new land for compensatory afforestation is selected with help of revenue and forest department. As there is shortage of land available with revenue department, which is to be required for CA within district. considerable time has been elapsed in that process.
2	प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र भी natural blank प्रतीत होता है जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं रहेगा। राज्य सरकार इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	Related to DFO
3	At para b 2,4 details of all the components are not filled correctly. State Govt is requested to fill the details of all the proposed components wise breakup at para b 2.4 in Part I	All Component of component wise breakup is filled in para B 2.4

(2)

बिन्दु सं०	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
4	<p>It appears that the proposed road can be limited upto village Darsingh only and village Bhantola can be connected from the other side, which will ultimately reduce the number of trees proposed to be felled in the project. State Govt is requested to review the proposal in this view and submit the justification.</p>	<p>इस मोटर मार्ग से ग्रामसभा दारसिंह, होराली, पैठाड, भन्तोला व उनके तोकों को जोडा जाना है साथ ही यह भी अवगत कराना है कि इस मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से काण्डा क्षेत्र एवं रीमा क्षेत्र जुड जायेगें तथा स्थानीय जनता का मोटर मार्ग से आवागमन 50 से 60 किमी० कम हो जायेगा व समय की बचत होगी। मोटर मार्ग बहुत अधिक समय से लम्बित है, स्थानीय जनता द्वारा मोटर मार्ग से जोडने हेतु लगातार मांग की जा रही है। माननीय विधायक जी विधानसभा क्षेत्र कपकोट द्वारा भी अपने पत्रांक सं० 108/ वी०आई०पी०/22 दिनांक 21.05.2022 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है(पत्र की छायाप्रति संलग्न)।</p>
5	<p>The tree enumeration is requested to be reviewed because the details in hard copy varies from the details provided at para 4 in Part II Online.</p>	<p>Part II details regarding tree enumeration is reviwed at DFO Leval.</p>
6	<p>In Such cases the tree felling can be done in 7 m Row. Therefore the State Govt is requested to submit the tree enumeration list for 7 m width.</p>	<p>प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि० उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं० 495/10अधिप्राप्ति प्रकीर्ण वर्ग-उ०/21 दिनांक 11.06.2021 द्वारा Edge demarcation in 9m width , for forest land acquisition.</p>

भवदीय,

(संजय कुमार पाण्डेय)
अधिशारी अभियन्ता




कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. - 05963.253385 (0)

पत्रांक 879 /230

दिनांक 24 /05 /2022

प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पैठाड-दारसिंह-खातीगाँव-नाथीसेरा से भन्तोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाइन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD /15682/2015) के क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण एवं मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ०आरफ०ए० उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं० 8बी०/यू०सी०पी०/06/170 /2016/एफ०सी०/90 दिनांक 20.04.2022 द्वारा बिन्दु सं० 1 में कार्यक्षेत्र उददेश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत पैठाड-दारसिंह-खातीगाँव-नाथीसेरा से भन्तोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 है० वनभूमि प्रस्ताव में कार्यक्षेत्र उददेश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट


(इ० संजय कुमार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

Phone & Fax:- 0135-2531154



E-Mail- cepwdua@rediffmail.com

पत्रांक:- 495/10अधिप्राप्ति प्रकीर्ण वर्ग-उ0/21

दिनांक 11.06.2021

कार्यालय ज्ञाप

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण विभाग में मार्गों के नव निर्माण, पुनः निर्माण हेतु मानक दरें इस कार्यालय के पत्रांक 60/10अधिप्राप्ति-उ0/19 दिनांक 14.01.2021 द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में सामग्री, श्रमिकों एवं ढुलान की दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के साथ बैठक में की गई वार्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर संलग्न पृष्ठों के अनुसार मैदानी मार्गों के निर्माण, पर्वतीय मार्गों के नव निर्माण, पुनःनिर्माण एवं सुधारीकरण की प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु प्रति किमी० मानक दरें निर्धारित की जाती हैं।

यह दरें मात्र प्रारम्भिक आगणन गठित करने हेतु प्रयोग की जायेगी एवं दिनांक 11.06.2021 से प्रभावी होंगी।


(हरिओम शर्मा)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 2- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
 - 3- अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 4- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
 - 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान हेतु।
 - 6- प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
 - 7- प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, देहरादून।
 - 8- मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।
 - 9- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
 - 10- मुख्य अभियन्ता पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी क्षेत्र/पी.एम.जी.एस.वाई. लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
 - 11- मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।
 - 12- महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 11 मोहिनी रोड़ देहरादून।
 - 13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि०/या०, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - 14- टी.ए.सी. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 15- वरिष्ठ स्टाफ आफीसर/अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
 - 16- कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- संलग्न:- 09 पृष्ठ।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Enclosure of Office Order No. 495 /10Adhiprapati-Prakirn varg-UK/19 Dated 11.06.2021
Standard Unit Rates for New Construction of Hill Roads (Stage 1)

S.No.	ITEM	Proposed for 2021
1	Survey work including preliminary and detailed survey.	0.16
2	Construction of 0.60 m wide trace cut.	0.36
3	Construction of Level Pillars.	0.24
4	Edge demarcation in 9m width, for forest land acquisition.	0.16
	Design and Drawing:	
5	Preparation of L-Section, Plan and Cross-Section.	0.16
6	Soil Testing, Geological Survey, Traffic Assesment etc.	0.05
7	Preparation of DPR.	0.07
	TOTAL	1.20
	Add GST 18% on Item No. 5, 6 & 7	0.05
	3 % for Contingency	0.04
	TOTAL	1.29
	Utility Shifting	0.20
	GRAND TOTAL	1.49
	SAY	1.50

10/6/21

अधिशाली अभियन्ता,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोननिविड, देहरादून

मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोननिविड, देहरादून

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, लोननिविड,
देहरादून

मुख्य अभियन्ता,

राष्ट्रीय राजमार्ग, लोननिविड,
देहरादून

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोननिविड, देहरादून

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

सुरेश गढ़िया

विधायक कपकोट

सम्पर्क : 9410304275

ईमेल : sureshbjp1984@gmail.com



सदस्य विधानसभा
उत्तराखण्ड



देहरादून कार्यालय/आवास :
विधायक हॉस्टल कक्ष संख्या 21
रेसकोर्स, देहरादून - 248001
कपकोट कार्यालय/आवास :
निकट रामलीला मैदान
कपकोट - 263632

पत्रांक : 108/VIP/22

दिनांक : 21/05/2022

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून

विषय:— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में पैठाण— दारसींग— खातीगांव— नाथीसेरा तक मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/ 15682/2015) को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में पैठाण— दारसींग— खातीगांव— नाथीसेरा तक मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/ 15682/2015) इस मोटर मार्ग से ग्रामसभा दारसिंह, होराली, पैठाड, भन्तोला व उनके तोकों को जोडा जाना है साथ ही यह भी अवगत कराना है कि इस मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से काण्डा क्षेत्र एवं रीमा क्षेत्र जुड जायेगें तथा स्थानीय जनता का मोटर मार्ग से आवागमन 50 से 60 किमी० कम हो जायेगा व समय की बचत होगी। मोटर मार्ग बहुत अधिक समय से लम्बित है, स्थानीय जनता द्वारा मोटर मार्ग से जोडने हेतु लगातार मांग की जा रही है।

अतः उक्त मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।


(सुरेश गढ़िया)
विधायक कपकोट
सुरेश गढ़िया
विधायक - कपकोट

प्रतिलिपि निम्न को उक्त मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ।
2. वन संरक्षक उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा को सूचनार्थ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर को सूचनार्थ।
4. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० कपकोट को सूचनार्थ।



